**कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ**

संख्या-एम०ई०-3/2025/ 655 लखनऊः दिनांक 21/03/,2025

**शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अन्तर्गत पी०सी०पी०एन०डी०टी० (छः मासिक) की प्रथम व द्वितीय फेज की ऑन लाईन कांउसिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश**

पी०सी०पी०एन०डी०टी०-2024 की आनलाईन काउंसिलिंग यथाशीघ्र आयोजित की जानी है, उक्त काउंसिलिग में प्रतिभाग करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निम्नवत् हैः-

- अभ्यर्थी द्वारा नीट पी०जी०-2024 की परीक्षा में प्रतिभाग किया गया हो तथा परीक्षा में अर्ह घोषित किया गया हो।
- पी०सी०पी०एन०डी०टी०-2024 की काउन्सिलिंग हेतु अभ्यर्थी जिनकी इंटर्नशिप दिनांक 15.08.2024 तक पूर्ण हो चुकी है, वह काउन्सिलिंग हेतु अर्ह होंगे।
- अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना तथा उ०प्र० मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में स्नातकोत्तर पाठयक्रम में अध्ययनरत हों अथवा अनुत्तीर्ण हों, वे इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- पी०सी०पी०एन०डी०टी० काउंसलिंग हेतु उ०प्र० राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य राजकीय सेवाओं में सेवारत अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध कुल सीटों में से 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित है।
- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उक्त कांउसिलिंग हेतु उपलब्ध करायी गयी अर्ह अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी ही उक्त आरक्षण हेतु अर्ह होंगे। इन अभ्यर्थियों को किसी भी अन्य प्रकार का वेटेज अनुमन्य नहीं होगा।**
- पी०सी०पी०एन०डी०टी० काउंसलिंग हेतु मेरिट लिस्ट आल इंडिया रैंक के आधार पर जारी की जायेगी।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 01.04.2024 के बाद के निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र ही अनुमन्य होंगे।
- आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र (दिव्यांगता प्रमाण पत्र को छोड़कर) उ०प्र०शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
- भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, मेडिकल काउसिंलिंग कमेटी, **Director General Of Health Services (DGHS) Ministry of Health And Family Welfare, New Delhi** द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित केन्द्रों से निर्गत एवं निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।
- पी०सी०पी०एन०डी०टी० पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग (फेज 1 व फेज 2) एक ही चक्र में सम्पन्न की जायेगी। उक्त कांउसिलिंग में यदि आरक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है तो ऐसी आरक्षित सीटों को शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार सीटों को आमेलित **(Merge)** करते हुए आंवटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी। ऐसी सीटों को **Virtual vacancy (SAC)** के तहत प्रदर्शित की जायेगी।
- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2. उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-527/71-2-2016-178/2015, दिनांक 23.02.2016 के कम में पी०सी०पी०एन०डी०टी० पाठयकम हेतु प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को कोई स्टाइपेन्ड देय नहीं होगा।
- पी०सी०पी०एन०डी०टी० काउंसिलिंग सबंधी अन्य सभी महत्वपूर्ण सूचनायें विभागीय वेबसाइट ***https://upneet.gov.in*** एवं ***www.dgme.up.gov.in*** पर देखी जा सकती है।

कृते महानिदेशक